राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक एफ12/मुख्या/याता/संचा/2021/920 दिनांक 15.04.2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 14.04.2021 को कोविड–19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए दिनांक 16.04.2021 से 30.04.2021 तक की अवधि के लिये जारी गाइडलाईन की अनुपालना में निगम की वाहने संचालित करने के लिये निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

- **सामान्य दिशा–निर्देश:–**

1. राज्य के समस्त क्षेत्रों में सांय 06.00 बजें से प्रातः 05.00 बजें तक रात्रीकालीन कर्फ्यू घोषित किये जाने के कारण समस्त राजकीय कार्यालय को 04.00 बजें तक खुला रखने के लिए निर्देशित किया गया है, अतः वाहन संचालन से संबंधित सभी कार्यालयों को छोडकर अन्य कार्यालय सांय 04.00 बजें तक बंद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. वाहन में यात्रियों के मध्य उचित दूरी (2गज) रखते हुये उपलब्ध सीटों का अधिकतम 50 प्रतिशत ही यात्री बैठाया जाना सुनिश्चित करें।
3. वाहन में कोई यात्री पान, गुटखा, बीडी एवं सिगरेट का उपयोग नही करेगा।
4. सभी यात्रियों को मास्क पहन कर यात्रा करना अनिवार्य होगा।
5. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अन्दर करवायी गयी RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट मांगे जाने पर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा।

- **मुख्य प्रबन्धको हेतु दिशा–निर्देश:–**

1. आगार कार्यशाला से प्रस्थान करने वाली समस्त वाहनों को अच्छी तरह से सैनेटाईज करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. आगार के बस स्टैण्ड 4 से 6 घंटे में सैनेटाईज करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. यह सुनिश्चित करें कि अन्य आगार मुख्यालय व केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर रात्री विश्राम करने वाली वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर वाहन रात्री विश्राम नही करेगी।
4. सभी चालक/परिचालको कों राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप मास्क, ग्लव्स एवं हेंड सैनेटाईजर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. सभी वाहनों में यात्रियों के मध्य उचित दूरी बनाये रखने के लिये सीट एवं स्थान चिन्हित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक परिचक की समाप्ति के पश्चात वाहनों को आवश्यक रूप से सैनेटाईज करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. आगार कार्यशाला में वाहनों को पर्याप्त दूरी पर खडा करवाया जावें।

- **परिचालको हेतु दिशा–निर्देशः–**

1. परिचालक अनिवार्य रूप से हाथ सैनेटाईज करें एवं मास्क एवं दस्ताने पहनना सुनिश्चित करें।
2. परिचालक बस में यात्रियों को कतार के माध्यम से यात्रियों के मध्य 1 मीटर की दूरी बनाये रखते हुये प्रवेश करावें।
3. चिन्हित सीट / स्थान पर यात्री उपलब्ध होने के पश्चात किसी यात्री को बस में प्रवेश न देवें अर्थात कोई भी यात्री बस में खडा होकर यात्रा नही करें।
4. यात्रियों को स्वयं का हैंड सैनेटाईजर प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जावें।

- **चालकों हेतु दिशा–निर्देशः–**

1. चालक बस का चार्ज लेने से पूर्व बस के सैनेटाईज होने के संबंध में भली–भांति जांच लेवे।

उक्त दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के गृह विभाग से जारी आदेश कमांक–प.33(2) गृह–9 / 2019 दिनांक 14.04.2021 की पालना भी सुनिश्चित करे। उक्त आदेशों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कमांक एफ12 / मुख्या / याता / संचा / 2021 / 920 दिनांक 15.04.21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रा.रा.प.निगम, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), रा.रा.प.निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार,रा.रा.प.निगम, मुख्यालय जयपुर।
4. कार्यकारी प्रबन्धक......................रा.रा.प.निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. जोनल मैनेजर..................................रा.रा.प.निगम।
6. मुख्य प्रबन्धक..................................रा.रा.प.निगम।

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)